न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/26

1. माधोलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. म्नोहरलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. दुर्गाशंकर आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. फौरू उर्फ सत्यनारायण आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. ममता पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. माना पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. निराली पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. कालो पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. बद्री आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. बरधा आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
11. गीता पुत्री शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
12. छोटूलाल आत्मज कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
13. बीला पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
14. मनोहरी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
15. धूली पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. रामप्यारी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. गिरिराज आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

18. राधेश्याम आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. जमना पत्नी धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
20. ललिता पुत्री धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

——अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :— 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 315/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 43, 43(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा सं० 463 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम सुखपुरा पटवार मंडल मेण्डी तहसील हिण्डोली ज़िला बूंदी में स्थित है जो वादीगण के नाम दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। कृषि भूमि खसरा सं0 462 रकबा 17 बिस्वा, 467 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 477 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा 478 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 480 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 481 रकबा 2 बीघा, 482 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 487 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सुखपुरा पटवार मंडल मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है भूमि की जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है । वाद पत्र की चरण सं0 1 व 2 में वर्णित भूमि पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है । वादग्रस्त भूमि वादीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई हे। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/संस्था व सरकार का कब्जा नहीं रहा है भूमि पर वादीगण ही काबिज चले आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सरकार राहिन अंकित किया हुआ है। उक्त अंकन विधि विरूध है जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि सरकार के रहन नहीं रखी गई है। रहन के बाबत कोई दस्तावेज भी निष्पादित नहीं हुआ है। राज्य सरकार काश्तकारो को जीविकोपार्जन के लिए भूमि आवंटित करती है । खातेदारान ने भूमि सरकार के रहन नहीं रखी है और रहन का इन्द्राज वादीगण के विरूध अवेध है जो निरस्तनीय है । रहन की अवधि अधिकतम 5 वर्ष है और रहन की अवधि समाप्त होने पर भूमि स्वतः ही रहन मुक्त/बंधक मोचन हो जाती है, चाहे रहन राशि का भुगतान किया ही न हो। इस दृष्टि से भी

वादीगण की भूमि काफी वर्षों पहले ही रहन मुक्त हो गई है। वादग्रस्त भूमि पर सरकार राहिन का इन्द्राज काफी पुराना है रहन का कोई बंधक विलेख नहीं है और भूमि सरकार राहिन के रूप में दर्ज है लेकिन उक्त कभूमि पर सरकार का कब्जा नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रहन राशि का भुगतान होने के उपरांत ही भूमि रहन मुक्त व कब्जा ट्रांसफर होता है। रहन की राशि का भुगतान कर देने के उपरांत ही वादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया है। वादीगण का भूमि पर मौके पर कब्जा है जिससे यह साबित है कि भूमि पूर्व में ही रहन मुक्त हो चुकी है। यदि भूमि रहन मुक्त नही होती तो भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होकर सरकार का कब्जा होता । वादीगण की भूमि काफी वर्षों पूर्व ही रहन मुक्त हो चुकी हे लेकिन राजस्व रिकार्ड से रहन का इन्द्राज विलोपित नहीं किया गया है जो अवेध है वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से रहन का इन्द्राज नहीं हटाने से वादीगण के हित प्रभावित हो रहे है वादीगण उक्त भूमि पर बैंक से ऋण आदि नहीं ले पा रहे है और न ही सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में से सरकार राहिन (मु.बि.क.) का इन्द्राज विलोपित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज राहिन सरकार के इन्द्राज को हटाने/विलोपित करने हेतु दिनांक 20.7.2020 को तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन तहसीलदार सा० ने सरकार राहिन का इन्द्राज हटाने से इंकार कर दिया और न्यायालय से आदेश लाये बिना सरकार राहिन का इन्द्राज विलोपति करने से मना कर दिया यही वाद उत्पति का कारण है। वाद कारण दिनांक 2.7.2020 को उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। रहन की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है वादग्रस्त भूमि पर राहिन काफी पुराना है जो 5 वर्ष की अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो चुका है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज सरकार राहिन (मु.बि.क.) के इन्द्राज को विलोपित करवावे एवं रहन मुक्ति की घोषणा करवावे । अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा सं0 463 462, 467, 477, 478, 480, 481, 482, 487, वाके ग्राम सुखपुरा पटवार मंडल सेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज सरकार राहिन (मु.बि.क.) का इन्द्राज विलोपित किये जाने की घोषणा की जाकर वादग्रस्त भूमि को बंधक मोचन कर रहनमुक्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से

प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 की अपीलांटगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2024 को हुई और दिनांक 18.12.2024 को अपने वकील साहब से जानकारी करने हेतु आने व उनके द्वारा मुकदमा खारिज होना बताने पर जानकारी दिनांक 18.12.2024 को हुई। तत्पश्चात नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश कर दिया और नकल दिनांक 03.01.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 18.12.2024 को हुई। न्यायहित में निर्णय दिनांक 25.07.2024 से जानकारी की दिनांक 18.12.2024 तक का समय मुजरा दिया जाकर अपील अवधि मध्य माना जाना आवश्यक है। उक्त अवधि मुजरा किये जाने पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। इस प्रकार जानकारी से यह अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय वस्तुस्थिति विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में बयान होने के पश्चात् वादीगण की उपस्थिति की आवश्यकता नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के नाम का इन्द्राज 90 वर्ष से भी पुराना अंकन होने के बावजूद भी वाद को खारिज करने मे भारी कानूनी भूल की है। वादीगण के विरूद्ध सरकार की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। इस आधार पर भी वादीगण का कथन अंतिम है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नही किया कि सरकार के कब्जा प्राप्त करने की अवधि काफी अरसे पूर्व समाप्त हो चुकी है और वादीगण अपीलांटगण उक्त भूमि के कानूनी रूप से खातेदार कृषक बन चुके है फिर भी वाद को खारिज करने मे भारी भूल की है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सरकार का नाम व अपीलांटगण के आगे अंकित मुबिक को विलोपित किया जाकर अपीलांटगण को उक्त भूमि का पूर्ण खातेदार कृषक घोषित किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे अपीलांटगण को प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। हमारे मत में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में अपीलांटगण वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुखपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की खसरा संख्या 462, 467, 477, 478, 480, 481, 482, 487 कुल किता 8 कुल रकबा 13.06 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित सरकार रहिन(मु.बि.क.) का इन्द्राज हटाया जाकर वादग्रस्त आराजी को बंधक मोचन कर रहनमुक्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुखपुरा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 151 में दर्ज कुल किता 8 रकबा 13.06 हैक्टेयर भूमि में सरकार रहिन मु.बि.क. के रूप में अपीलांटगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सुखपुरा तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 152 में दर्ज खसरा नम्बर 463 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि में सरकार रहिन मु.बि.क. के रूप में अपीलांटगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2028 से 2057 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी के हाल एवं गत खसरा नम्बरान का अंकन है। प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रूघा, सोरामा, कान्हा पिसरान नारायण का नाम बतौर सरकार रहिन मु.बि.क. के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 जमाबंदी पंचशाला सम्वत् 2008 से 2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रूघा, सोरामा, कान्हा पिसरान नारायण का नाम बतौर सरकार रहिन मु.बि.क. के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त आराजी रहन से पूर्व उनकी खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता हो। साथ ही वादग्रस्त आराजी रहन दर्ज होने बाबत भी कोई आदेश/नामान्तकरण की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटगण का नाम सरकार रहिन (मु.बि.क.) के रूप में किस आधार पर दर्ज हुआ। अपीलांटगण हस्तगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.07.2024 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 315/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(11)

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/26

1. माधोलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. मनोहरलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. दुर्गाशंकर आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. फौरू उर्फ सत्यनारायण आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. ममता पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. माना पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. निराली पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. काली पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. बद्री आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. बरधा आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
11. गीता पुत्री शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
12. छोटूलाल आत्मज कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
13. बीला पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
14. मनोहरी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
15. धूली पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. रामप्यारी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. गिरिराज आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
18. राधेश्याम आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. जमना पुत्री धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
20. ललिता पुत्री धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

—अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

—रेस्पोडेन्ट

101/दावा/2020 (जीसीएमएस सं0 2020/00315)

1. माधोलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. मनोहरलाल आत्मज रूघा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
3. दुर्गाशंकर आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
4. फौरू उर्फ सत्यनारायण आत्मज सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
5. ममता पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
6. माना पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
7. निराली पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
8. काली पुत्री सीताराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
9. बद्री आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
10. बरधा आत्मज शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
11. गीता पुत्री शोराम जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
12. छोटूलाल आत्मज कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
13. बीला पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
14. मनोहरी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
15. धूली पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
16. रामप्यारी पुत्री कान्हा जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
17. गिरिराज आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
18. राधेश्याम आत्मज धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
19. जमना पत्नी धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
20. ललिता पुत्री धूला जाति गूर्जर निवासी अमरपुरा ग्राम पंचायत मेण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

—वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 101/दावा/2020 (जीसीएमएस सं0 2020/00315) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक** 25.07.2024 **की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

13

उक्त अपील तारीख 31.07.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महेन्द्र जैन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 101/दावा/2020 (जीसीएमएस सं0 2020/00315) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा